संख्या- 6/543/38-3-2015-57(अधि0)/2012

प्रेषक,

राम बहादुर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त ,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग - 3 लखनऊ:: दिनांक- 31 मार्च , 2015

विषय- ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालयों एवं जनपदीय विकास कार्यालयों / विकास खण्ड कार्यालयों में कार्यरत / तैनात लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों के परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत संयुक्त विकास आयुक्त / मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी के मध्य प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा विविध अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0ओ0-114/स्था0-2/2014-15 दिनांक 16.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राजकीय विकास विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये सामान्य निर्णय के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग में जिला विकास कार्यालयों, विकास खण्ड कार्यालयों एवं क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान में पदों के पदनाम, पदों की संख्या, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की विधि/ अर्हता को दिनांक 18.03.2011 से शासनादेश संख्या -4791/38-1-2011-35(107)/2010 दिनांक 23.12.2011 एवं संख्या- 3941/38-3-2012-16(अधि0)/2012 दिनांक 15.03.2013 द्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित किया जा चुका है।

2- उक्तानुसार पदनाम परिवर्तन एवं वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की विधि/ अर्हता में परिवर्तन के फलस्वरूप इस विषय पर पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुये जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी के मध्य प्रशासकीय एवं विविध अधिकारों का प्रतिनिधायन इस आदेश के साथ संलग्नक सूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी माने जायेंगे ।

संलग्नक- अधिकारों के प्रतिनिधायन से सम्बंधित सूची।

भवदीय,

(राम बहादुर)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- (1)/543/38-3-2015-57(अधि0)/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त कोषाधिकारी , उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जिला विकास अधिकारी,
8. समस्त प्रार्चाय, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान , उ0प्र0।
9. समस्त अधिकारी एवं अनुभाग , ग्राम्य विकास सचिव शाखा।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 543/38-3-2015-57(अधि0)/2012 दिनांक मार्च , 2015 का संलग्नक:-

लिपिकीय संवर्ग के ढॉचा पुनर्गठन उपरान्त जनपदस्तरीय विकास प्रशासन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी , तथा जिला विकास अधिकारी के मध्य प्रशासकीय, वित्तीय एवं विविध अधिकारों का प्रतिनिधायन:-

वर्तमान में शासित सेवा नियमावली,1980 में उक्त पदों को समावेश करते हुए जब तक संशोधित नहीं की जाती है तब तक प्रश्नगत सेवा नियमावली, 1980 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 19.09.1992 को संशोधित कर निम्नलिखित अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जाना है:-

(क) नियुक्तियां/पदोन्नतियां/ विभागीय कार्यवाही

जिला विकास कार्यालयों एवं विकास खण्डों के लिपिकीय संवर्ग के पदोंकी नियुक्ति एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रतिनिधायन

1-	कनिष्ठ सहायक	नियुक्ति प्राधिकारी	जिला विकास अधिकारी
2-	वरिष्ठ सहायक	नियुक्ति प्राधिकारी	जिला विकास अधिकारी
3-	प्रधान सहायक	नियुक्ति प्राधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
4-	प्रशासनिक अधिकारी	नियुक्ति प्राधिकारी	जिलाधिकारी
5-	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,	नियुक्ति प्राधिकारी	जिलाधिकारी
6-	आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक	नियुक्ति प्राधिकारी	जिलाधिकारी
7-	निलम्बन/लघुदण्ड /वृहद दण्ड सहित समस्त विभागीय कार्यवाही	संगत सेवा नियमावली के आधार पर सभी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगा।	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ब) संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालयोंके लिपिकीय संवर्ग के पदों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रतिनिधायन:-

1-	कनिष्ठ सहायक	नियुक्ति प्राधिकारी	संयुक्त विकास आयुक्त
2-	वरिष्ठ सहायक	नियुक्ति प्राधिकारी	संयुक्त विकास आयुक्त
3-	प्रधान सहायक	नियुक्ति प्राधिकारी	संयुक्त विकास आयुक्त
4-	प्रशासनिक अधिकारी	नियुक्ति प्राधिकारी	संयुक्त विकास आयुक्त
5-	आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक	नियुक्ति प्राधिकारी	संयुक्त विकास आयुक्त
6-	निलम्बन/लघुदण्ड /वृहद दण्ड सहित समस्त विभागीय कार्यवाही	संगत सेवा नियमावली के आधार पर सभी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगा।	

(ख) अवकाश की स्वीकृति

1-	बिना प्रतिस्थानी के प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक कर्मचारियों के 42 दिन तक का अवकाश।	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी	जिला विकास अधिकारी
2-	42 दिन से अधिक का अवकाश प्रतिस्थानी के साथ ।	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी

(ग) यात्रा-भत्ता बिल पर नियंत्रण का अधिकारी

1-	प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक	नियंत्रक अधिकारी	जिला विकास अधिकारी

(घ) स्थानान्तरण (जनपद में)

1-	प्रशासनिक अधिकारी , प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक (एक विकास खण्ड से दूसरे विकास खण्ड में)	सक्षम अधिकारी	जिला विकास अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ड) वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन

	पदनाम	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	समीक्षक/ स्वीकृता प्राधिकारी
1-	प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक,वरिष्ठ सहायक	खण्ड विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी

(चरित्र पंजिकाओं में गोपनीय मंतब्य अंकित किये जाने या अन्यथा जिलाधिकारी अपने विशेष आदेशों के द्वारा यदि किसीसमय प्रतिकूल या अनुकूल मंतब्य पारितकरते हैं तो उनका आदेश अन्तिम होगा, परन्तु यदि किसी समय मण्डलायुक्त अपने विशेष आदेशो के अधीनऐसी प्रविष्ठियां अंकित किये जाने के बारे में निर्देश जारी करें तो ऐसी स्थिति में उनके आदेश अंतिम होगें।)

(च) अपीलीय अधिकारी

1-	प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार।		

(छ) प्रशासनाधिकरण की संस्तुतियों पर कार्यवाही

अनुशासनिक कार्यवाही (प्रशासनाधिकरण) नियमावली,1947 की संस्तुतियों के आधार पर इन कार्मिकों में से किसी भी कार्मिक के विरूद्ध दण्ड का आदेश उनके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित नही किया जा सकेगा क्योंकि नियमानुसार प्राधिकरण की संस्तुति पर विभागाध्यक्ष आदेश पारित कर सकते है ।

(ज)सेवा सम्बंधी शेष अन्य प्रकरणों का निस्तारण

1-	प्रशासनिक अधिकारी वरिष्ठ सहायक	संदर्भगत सेवा नियमावली, 1980 के अनुसार

(झ) आहरण एवं वितरण का अधिकार

जिला विकास कार्यालयों को आवंटित बजट एवं वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में।	आहरण एवं वितरण अधिकारी	जिला विकास अधिकारी

(राम बहादुर)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।